



क्रमांक/अका./2018/1447

जबलपुर, दिनांक 3/1/2018

अधिसूचना

सर्व संबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 231, 232 एवं 229 मान्य किये जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति के विचारार्थ भेजा गया था, जिसे समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25/10/2017 के पद क्रमांक 05(1,2,3) से मान्य किया गया। एतद् द्वारा अधिसूचित किया गया है:-

क्रं०	अध्यादेश	अध्यादेश का नाम
1.	231	बी.ए.बी.एड.
2.	232	बी.एससी. बी.एड.
3.	229	Bachelor in Audiology & Speech Language Pathology (BASLP)

आदेशानुसार

(डॉ० बी. भारती)
कुलसचिव

पृ० क्रमांक/अका./2018/1447 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

जबलपुर, दिनांक 3/1/2018

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
2. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण ।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
4. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा विभाग, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
5. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
6. विशेष कर्तव्य अधिकारी, समन्वय समिति, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, बल्लभ भवन भोपाल ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर को इस निवेदन के साथ की अधिसूचना को वि०वि० की वेबसाइट में अपलोड करें ।
8. कुलपति जी के सचिव, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
9. विश्वविद्यालय की सूचना पटल ।

कुलसचिव